

संख्या 20062/2/77-भा०भा०स०(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक एवं धारा विभाग

नई दिल्ली-११०००१, दिनांक । जुलाई 1978

सेवा में,

सभी राज्यों के मुम्भ लंबिव ।


विषय :- औद्योगिक उपकरणों में निदेशकों अथवा सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिल भारतीय सेवार्थों के सदस्यों के यात्रा भत्ते आदि ।

- - -

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 1975 के पत्र संख्या 20062/1/75-भा०भा०स०(11) में संशीधन करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विसो राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे अधिल भारतीय सेवार्थों के ऐसे सदस्यों की जो विभिन्न औद्योगिक उपकरणों/संस्थाओं में निदेशकों, प्रतिनिधियों अथवा सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारियों के रूप में सरकारी हैं सियते से नियुक्त हैं, यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान अधिल भारतीय सेवार्थ (यात्रा भत्ता) नियम, 1954 के नियम ३ में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित सरकार के उपयुक्त नियमों द्वारा नियमित होगा ।

भवद्योध,



(कौ०कौ० जैसवाल)

उप-सचिव, भारत सरकार